आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग की ओर से निदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा को प्रेषित पत्र क्रमांक 31(15)84-शि-II(4) दिनांक 30-8-84 की प्रतिलिपि.

..

विषयः- सीनियर माडल स्कूल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से एफिलियेशन प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना...

उपरोक्त विषय पर आपके यादी क्रमांक 23/64-84- वि-(5) दिनांक 23-8-84 के संदर्भ में।

2. सरकार आपके प्रस्ताव से सहमत है तथा इस स्कूल को सैन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेण्डरी ऐजुकेशन नई दिल्ली के साथ एफिलियेशन प्राप्त करने के [illegible] अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

(1) जैसे ही इस स्कूल को सी. बी. एस. ई. नई दिल्ली से मान्यता [illegible] हो जाएगी हरियाणा राज्य से इस स्कूल की मान्यता समाप्त [illegible] जायेगी।

(2) सी. बी. एस ई. नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होने के बाद [illegible] स्कूल को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान भी नहीं दिया [illegible]

कार्यालय निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़

पृ0क्रमांक 23/64-84- वि-(5) दिनांक, चण्डीगढ़ 30-8-84

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित [illegible]

1. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र
2. मुखयाध्यापिका, सीनियर माडल स्कूल यूनीवर्सिटी कैम्पस, कुरुक्षेत्र।

30/8/84

DY

~~सहायक निदेशक प्रौढ़ शिक्षा~~

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
चण्डीगढ़ ।